न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / एलआर / 4496 / 2002 / जालौर

1— हीरालाल पुत्र लालचन्द
2— मधु कुमारी पुत्री खीमचन्द
3— संतोष कुमारी पुत्री खीमचन्द
4— संगीता कुमारी पुत्री खीमचन्द
5— भावना कुमारी पुत्री खीमचन्द
समस्त जरिये वली खीमचन्द जाति ओसवाल निवासी भीनमाल जिला जालौर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1— पदमाजी (पदमाराम) पुत्र गीगा (मृतक) जरिये वारिसानः—
1/1 मु0 नामू देवी पत्नी स्व. पदमाराम
1/2 डॉ एम.आर. परमार पुत्र स्व. पदमाराम
1/3 टिकमाराम पुत्र स्व. पदमाराम
1/4 ललित कुमार पुत्र स्व. पदमाराम
1/5 भल्लाराम पुत्र स्व. पदमाराम
1/6 अमिया पुत्री स्व. पदमाराम
1/7 गुलाबीदेवी पुत्री स्व. पदमाराम
समस्त जाति माली निवासी भीनमाल जिला जालौर।
2— मांगीलाल पुत्र टीकमचन्द
3— नरेश पुत्र टीकमचन्द
4— राजेश पुत्र टीकमचन्द
5— रमेश पुत्र टीकमचन्द
6— मंजू बेवा सुरेश कुमार
7— उगम कंवर पत्नी टीकमचन्द
8— मिकिता पुत्री सुरेश कुमार नाबालिग जरिये माता मंजू
9— करण पुत्री सुरेश कुमार नाबालिग जरिये माता मंजू
समस्त निवासी भीनमाल जिला जालौर।

...अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री इन्द्रसिंह राव, सदस्य

उपस्थितः—
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से।
श्री अविनाश माथुर, अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से।

———

निर्णय

दिनांकः 27—6—2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के विरूद्ध निर्णय दिनांक 27—4—2002 जो की न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय

आयुक्त जोधपुर द्वारा अपील संख्या 37/98 बउनवानी हीरालाल बनाम पदमाजी में पारित किया गया के प्रस्तुत की गई है।

2— संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, भीनमाल ने नामान्तरकरण सं0 456 दिनांक 19—12—95 को स्वीकृत किया, उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल के न्यायालय में पेश की गई, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27—03—98 द्वारा प्रथम अपील को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27—04—2002 अस्वीकार कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह निगरानी मण्डल में पेश की गई है।

3— हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4— योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पदमाजी ने दिनांक 07—09—86 को जरिये पंजीकृत पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि विक्रय कर दी। तत्पश्चात सहायक भू प्रबंध अधिकारी द्वारा 1 फरवरी 1987 को नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण को चुनौति देते हुए पदमाजी के पुत्र ललित कुमार ने अति0 भू अभिलेख अधिकारी के न्यायालय में अपील सं0 64/1989 पेश की, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि जिस समय भूमि का बेचान हुआ उस समय उक्त भूमि पर राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय का स्थगन था। अति0 भू अभिलेख अधिकारी द्वारा उक्त अपील को दिनांक 10—05—90 द्वारा स्वीकार कर सहायक भू प्रबंध अधिकारी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय/निर्देश के अनुसार कार्यवाही करें। उनका कथन था कि इस भूमि को लेकर न तो कोई अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में दर्ज हुई एवं ना ही कोई स्थगन जारी किया गया। सहायक भू प्रबंध अधिकारी को इसे विधिवत् सुनकर निर्णय पारित करना चाहिए था जो नहीं किया गया। इसके विपरीत ग्राम विकास शिविर में बिना सुने तथा अभिलेख का अवलोकन किए, पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरण को खारिज कर नामान्तरकरण सं0 456 दिनांक 19—12—95 स्वीकृत कर दिया। इस प्रकार विधिवत् रूप से क्रय की गई भूमि को पुनः विक्रेता के नाम दर्ज कर दिया गया, उक्त नामान्तरकरण को चुनौति देते हुए प्रथम अपील सं0 5/96 उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल के समक्ष पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27—03—89 द्वारा खारिज कर दिया, उक्त निर्णय उन्हें बिना सुने पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27—04—2002 द्वारा

खारिज कर दिया तथा नामान्तरकरण सं0 456 दिनांक 19–12–95 को यथावत बहाल रखा। इस प्रकार किसी भी न्यायालय द्वारा अपने स्तर पर इस बिन्दु का परीक्षण नहीं किया गया कि जब अति0 भू अभिलेख अधिकारी द्वारा प्रकरण स्पष्ट रूप से प्रतिप्रेषित किया गया, इसके बावजूद क्रेता द्वारा विवादित भूमि क्रय करने के उपरान्त प्रार्थीगण को खातेदारी को किसी प्रकार उन्हें सुने बिना खारिज कर नामान्तरकरण सं0 456 दिनांक 19–12–95 स्वीकृत किया गया। अतः निगरानी स्वीकार कर अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय 27–04–2002, उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–03–98 निरस्त किए जावे व नामान्तरकरण सं0 456 दिनांक 19–12–95 को निरस्त किया जाकर उनके पक्ष में दिनांक 07–02–86 को स्वीकृत नामान्तरकरण को यथावत बहाल रखने का निवेदन किया।

5– योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल ने अपने निर्णय के पेज सं0 6 में प्रस्तुत की गई प्रथम अपील को क्षैत्राधिकार के आधार पर खारिज किया है, उसी अनुरूप द्वितीय अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त ने भी अपना निर्णय प्रदान करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा है। सहायक भू प्रबंध अधिकारी की अपील किस न्यायालय में होगी, का उल्लेख निगरानी मीमों में नहीं किया गया है। उनका यह भी तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। निगरानी का क्षैत्र सीमित है। उनका यह भी कथन था कि राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन था या नहीं, इस बाबत् ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। अतः निगरानी खारिज की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

7– पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से जाहिर होता है कि भू प्रबंध अधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील सं0 64/89 दिनांक 10–05–90 को निर्णित करते हुए प्रकरण सहायक भू प्रबंध अधिकारी को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था, ऐसी स्थिति में सहायक भू प्रबंध अधिकारी द्वारा पक्षकारों को विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए था कि क्या उक्त प्रकरण में कोई स्थगन आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ था या नही। किन्तु इसके विपरीत ग्राम विकास शिविर में इस संबंध में किसी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। भू प्रबंध कार्यवाही समाप्त हो जाने के पश्चात् सहायक भू प्रबंध अधिकारी की शक्तियॉ सबंधित तहसीलदार को प्राप्त हो जाती

है, ऐसी स्थिति में निर्णय दिनांक 10–05–90 के अनुसार तहसीलदार द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए दोनों पक्षों को सुनकर राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में चल रही अपील के दस्तावेज मंगवाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा की गई अविधिक कार्यवाही का समर्थन दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किया गया है तथा उनके द्वारा अपील खारिज की गई है। अतः हम इस निगरानी को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

8– उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–04–2002 व उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–03–98 तथा ग्राम विकास शिविर में स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण सं0 456 दिनांक 19–12–95 निरस्त किए जाते है तथा बतौर क्रेता प्रार्थी के नाम दर्ज नामान्तरकरण दिनांक 01–02–87 को बहाल किया जाता है। साथ ही प्रकरण संबंधित तहसीलदार को को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे दोनों पक्षों को सुनकर राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश, को देखते हुए दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
सदस्य